आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं की प्रक्रिया एवं अनुदेश।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय–समय पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं हेतु आयोग द्वारा आयोग का टंकण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आयोग में आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं में इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। टंकण परीक्षा में निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे।

1. टंकण परीक्षा में 01 रिक्त पद के सापेक्ष लिखित प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में से श्रेणी व उपश्रेणीवार 04 अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।
2. टंकण परीक्षा Kruti Dev 010 font में कराई जायेगी।
3. टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गये कम्प्यूटर का ''मॉनिटर'', ''की–बोर्ड'' व ''माउस'' ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है और यह भी देख लें कि ''की–बोर्ड'' में Caps Lock Key ऑन तो नहीं है।
4. टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 02 मिनट का Trial Demo आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जायेगा, जिससे अभ्यर्थी सॉफ्टवेयर से परिचित हो सकें। Demo देने के 02 मिनट के उपरांत कम्प्यूटर में 2 बटन प्रदर्शित होंगे, 1. Try Demo Again, 2. Submit. यदि अभ्यर्थी अपने Demo से संतुष्ट नहीं है, तो Try Demo Again के बटन को क्लिक कर पुनः Demo दे सकता है। Demo से संतुष्ट होने के उपरान्त Submit का बटन क्लिक करेगा, जिससे Demo की प्रिंट प्रति पर हस्ताक्षर करने के उपरांत ही टंकण परीक्षा प्रारंभ कर सकेगा।
5. कम्प्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसी विषय वस्तु होगी, वैसी ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जानी है, जो शब्द लिखे जायेंगे वे शब्द बाईं ओर की विषय वस्तु में हाईलाईट होते जायेंगे, जिससे अभ्यर्थी को स्पष्ट होगा कि वह कहां तक टंकण कार्य कर चुका है।

6. सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर x का चिह्न दर्शित होगा। x का चिह्न आने पर अभ्यर्थी Backspace कुंजी द्वारा x का चिह्न मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार सकता है या Space Bar Key से आगे बढ़कर अगला अक्षर टंकित कर सकता है।
7. अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी Function Key, Crtl+F4, Crtl+Esc, Crtl+Alt+Delete, Alt+F4, Alt+Space आदि के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्जित Key का प्रयोग करता है अथवा जानबूझ कर कम्प्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा टंकित किये गये कुल कुंजी दबाव (Total Key Depression) की 5% तक अशुद्धियां स्वीकार्य हैं अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जायेगा परंतु 5% से अधिक अशुद्धियां होने पर 01 गलत कुंजी दबाव के सापेक्ष 5 सही कुंजी दबाव (Key Depression) दण्डस्वरूप काटे जायेंगे। तत्पश्चात उसकी कुंजी दबाव (Key Depression) प्रति घण्टा अर्थात KDPH निकाली जायेगी।
9. सॉफ्टवेयर सही Space Bar को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा तथा गलत Space Bar को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा।
10. टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा। निर्धारित समय (10 मिनट) पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जायेगा।
11. हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हक टंकण गति 4000 KDPH प्राप्त करनी अनिवार्य है।
12. अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जायेगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवा कर आयोग अपने पास परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखेगा। अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में अर्ह/अनर्ह (Qualified/ Not Qualified) होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी। लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता के आधार पर टंकण परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा।
13. परीक्षा केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति ली जायेगी।

टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पुनः बायोमैट्रिक उपस्थिति से अभ्यर्थी का सत्यापन किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन में बायोमैट्रिक उपस्थिति में छद्म अभ्यर्थी के टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने पर संबंधितों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

14. टंकण परीक्षा सी0सी0टी0वी0 कैमरा के अंतर्गत ली जायेगी, जिसका अवलोकन आयोग की निर्धारित कमेटी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने से पूर्व किया जायेगा। सी0सी0टी0वी0 कैमरा में अभ्यर्थी द्वारा अनुशासनहीनता, अनैतिक व्यवहार व कम्प्यूटर उपकरण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ आदि पर आयोग की कमेटी की लिखित संस्तुति पर अभ्यर्थी के टंकण परीक्षा में अर्ह होने के उपरांत भी आयोग संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा तथा अनर्ह होने पर आयोग की अग्रिम परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा।
15. परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड) व एक वर्तमान रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो लाना अनिवार्य होगा।
16. परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, पेजर, पेन ड्राइव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
देहरादून।